न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/614

1. नन्दबिहारी नागर उम्र 30 वर्ष आत्मज बाबूलाल जी जाति धाकड निवासी ग्राम जाखोडा तहसीलल लाडपुरा जिला कोटा ।
2. रिंकू बाई उम्र 28 वर्ष पत्नी श्री नन्दबिहारी जाति धाकड निवीस ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. लाल चन्द पुत्र बाबूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 10.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 115 रकबा 0.66 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 115/975 रकबा 0.50 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 1.16 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के शामलाती खाते की भूमि है। वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के पिता श्री बाबूलाल के द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 24.04.2010 को बंटवारा किया जा चुका है । पक्षकारान के मध्य हुए आपसी विभाजन को माननीय न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से बंटवारा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा किया जावे कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को पश्चिम दिशा की मेड से दिये गये रास्ते का ही प्रतिवादीगण अपने हिस्से की आराजी की हंकाई – जुताई करने के लिये आने–जाने के लिए

उपयोग एवं उपभोग करे तथा वादी के हिस्से की पूर्व दिशा की आराजी में होकर या अन्य जगह होकर वादी की आराजी की फसल को नष्ट करते हुए रास्ता का उपयोग एवं उपभोग नहीं करे । वादी एवं प्रतिवादी कम 1 की उक्त खसरा नम्बर की शामलाती आराजी में अपने–अपने हिस्से के काबिज काश्त के अनुसार विधिक रूप से बंटवारा किया जावे तथा विधिक रूप से अपने हिस्से पर कब्जा प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं दिनांक 12.06.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण कम 1व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्ण तथ्य वर्णित करते हुए दावा वादी डिक्री कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है। वादी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट ने दिनांक 27.05.2003 को खसरा नम्बर 115/994 की रकबा 0.50 हैक्टर भूमि श्री लक्ष्मीनारायण, श्रीमती शांतिबाई, श्रीमती चतरू व श्रीमती दाखां से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कब्जा प्राप्त किया है । पक्षकारान के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में विधिक राजीनामा नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्ण रूप से दावा डिक्री किया है । लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । तनकीयात कायम नहीं की गई हैं । वादी के द्वारा मनगढंत रूप से प्रतिवादी अपीलान्ट के खेत में आने–जाने के लिए रास्ता बताया है ऐसा कोई रास्ता नहीं है । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के कब्जेशुदा भूमि में पूर्व दिशा में स्थित रास्ते का उपयोग करते हैं अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि – सम्मत रूप से लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित की है । चूँकि मूल दावे का निस्तारण हो चुका है इस कारण धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई दोनों अपीलें मेन्टेनेबल नहीं हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 बहाल रखा जावे।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान में से वादी और प्रतिवादी कम 1 की उपस्थिति दर्ज की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे आधार पर 05 तनकीयात कायम की है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 37 पर संलग्न है । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया है जो विधि– विरूद्ध है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए, सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा